फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

12-07-2013

–: आदेश :–

आवेदक **श्री जयराज सिंह,** पिता–स्व0 रंजीत सिंह (अवकाश प्राप्त Additional Secretary), सा0–एच0एन0 288, नेहरू नगर, पो0–पी0पी0 कॉलोनी, थाना–पाटलीपुत्रा कॉलोनी, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्राम+पो0–बबुरा, थाना–बड़हरा, जिला–भोजपुर से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–618/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–12.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे Tata Autocomp Gy Batteries Ltd. में Zonal Manager के पद पर कार्यरत हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–165/गो0, दिनांक–25.01.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधिनस्थ पदाधिकारियों से जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पाटलीपुत्रा के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक का स्थायी पता पर जाँच के पश्चात ही शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक Tata Autocomp Gy Batteries Ltd. में Zonal Manager के पद पर कार्यरत हैं। इनके जीजा जी अनिल सिंह की हत्या बेगूसराय में कर दी गयी थी, जिसके संदर्भ में वरवरी थाना कांड सं0–108/2004 दर्ज है। आवेदक के पिता के मृत्योपरान्त उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–1380/77, पटना ओ0डी0 सं0–671/88 पर धारित एक एन0पी0 बोर रिवाल्वर, जो उज्जैन आर्म्स स्टोर, पटना में जमा है, को अपने नाम से धारित करना चाहते हैं। आवेदक को पूर्व से भी एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति सं0–178/2010 प्राप्त है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का

सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री जयराज सिंह, पिता–स्व0 रंजित सिंह (अवकाश प्राप्त Additional Secretary), सा0–एच0एन0 288, नेहरू नगर, पो0–पी0पी0 कॉलोनी, थाना–पाटलीपुत्रा कॉलोनी, जिला–पटना, स्थायी पता– ग्राम+ पो0–बबुरा, थाना–बड़हरा, जिला–भोजपुर को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।